परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैती-बाँजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई-3.00 किमी0 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम <u>मललाविनीला</u> तहसील <u>जेती</u>, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम <u>मिळा ि ने ला</u> के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

गाम स्थित के न १६ छोड़ा साम्यक्त है। जनसम्बद्धाः स्थानकारी जिल्हाच्य स्थानकारी

वेकास खण्ड-लमगङ्ग जनवर-अल्मोडा ग्राम प्रधार्मधान नाम पंचायत- मल्ला बिनौद्धाः विव मा)- लमगढा अल्योङ्का

प्रपत्र-23.1

दिनांक 251,2420,4को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भ. लल १.९	ച.ഷ)	
कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	XET ELENYSIC \	Far.
2.	ड्यडाफ ह मण्डा	To Salvelon
3.	3/6106 / (Aic 210516)	21719
у,	2 मेर माया	Jas True
5.	481818	ह्य अराज
6.	द्यालांग्रह	TRAS

विमला रे की प्राप्त प्राप्त कि । कि नाला कि का का कि । कि का कि क

परियोजना का नाम :--जनपद अल्मोड़ा में जैती-बाँजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तकमोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जैती अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अंती उपखण्डपरिक्षेत्र के अन्तर्गत जैती-बाँजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तकमोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी० परियोजना के निर्माण हेतु हे0 आरक्षित वन भूमि, ८०.५५०हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमिश्रे.ज..... हे० अर्थात कुल ०,५५०. हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील द्वींती) की दिनांक 19/02/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1- श्री उपजिलाधिकारी अध्यक्ष 2- श्री जा का द्वार उप प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सेम्भ अल्मोडासदस्य 3- श्री आदत असता जिल्ला सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकार सदस्य/सचिव 4- श्री - प्टाना व्हों नी बीठडीठसीठ क्षेत्र न्या संक्राली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में जैती—बाँजधार—मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तकमोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु क्रिक्ट है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन् निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

> उप जिलाधिकारी अधिकार समिति उपखण्ड स्तरीय वेती/अधिकार समिति तहसील-जैती जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिस्तिविकारिकारिकाराम उपखण्ड स्तरीय वन आधिकरि समिति तहसील-जैती जनपद-अल्मोड़ा परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में जैती-बाँजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तकमोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद—अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में जैती—बाँजधार—मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तकमोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति क्रिये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ाम विना अधिकारी विनी/भनोबी जिल्लिकिस री अस्ता ।

विखा समाज कावाण अधिका**र्थ** खल्मोहा

FORM-1

V.GE

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No. Memo	Dated. 19.03.15
. 10	L'accarrire de la constant de la con

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Jaiti-Banjdhar-Malli Binola to Talli Binola Motor Road (3.00 Km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Bajdhar, Malli Binola, Talli Binola Village (s) in Jaiti tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **.15... hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural at communities.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

विका समाच कंत्याण मधिका**र्थी** करमोद्र

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire . D. M.S. hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Preagricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector

चित्रा समाज कर्याण श्रविकाधी सरसीत्र

1.6G

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

विका समज्ज ग्रह्मांग अधिकार्यः शहसीका

Deputy Commissioner-cum-Chairman

Dated:

District Level Committee.